छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर
www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

क्रमांक.....13...../2019 आदेश दिनांक 05/ 10 /2019

विषयः- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की चिन्हित योजनाओं रिक्त/उपलब्ध भवनों के मूल्य पर छूट देकर विक्रय किए जाने बाबत्।

—— 00 ——

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा वृहद स्तर पर पूर्ण प्रदेश में विभिन्न योजनांतर्गत आवासीय भवनों का निर्माण किया गया है तथा किया जा रहा है। मण्डल द्वारा प्रदेशवासियों के लिए आवास की पूर्ति करने हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। मण्डल गठन से लेकर वर्तमान स्थिति तक लगभग 01 लाख भवन निर्मित/निर्माणाधीन है। हितग्राहियों द्वारा मण्डल की योजनाओं में कॉफी रूची दिखाई है। मण्डल का मुख्य उद्देश्य आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराना है।

किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मंदी आने के कारण भू-संपदा (Real Estate Sector) का क्षेत्र कॉफी प्रभावित हुआ है। भवनों के पर्याप्त मांग ना होने के कारण आवासीय भवन रिक्त है। इनमें से अधिकांश भवन 1 वर्ष से 10 वर्ष पूर्व के निर्मित तथा रिक्त है। दीर्घ समय से रिक्त होने के कारण कई भवनों का रख-रखाव कर पाना कठिन हो रहा है। भवनों के संधारण एवं रख-रखाव के कार्य में मण्डल को वित्तीय भार वहन करना पड़ रहा है। भवनों का विक्रय ना होने से मण्डल के निधि तरलता पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है।

भवन अविक्रित होने से मण्डल की वृहद राशि अवरूद्ध हो गयी है तथा भवनों के मूल्य में ह्रास हो रहा है साथ ही निर्मित भवनों के रख-रखाव में मण्डल की राशि अत्यधिक व्यय हो रही है एवं वित्तीय तरलता पर विपरित प्रभाव पड रहा है। मण्डल द्वारा चिन्हित योजनाओं में भवनों के मूल्य में छूट दिये जाने से मण्डल की रिक्त संपत्ति का विक्रय होगा साथ ही अवरूद्ध राशि मण्डल को प्राप्त होगी एवं भविष्य की आवासीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मण्डल को आसानी होगी ।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण के 60 वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 16/09/2019 के पद संख्या क्रमांक 16 के पारित संकल्प क्रमांक 1764/16/60/2019 द्वारा संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर दीर्घ विचारोंपरांत सर्वसम्मिति से निर्णय लेते हुए मण्डल की योजनाओं में भवनों के मूल्य का किसी विश्वसनीय संस्था जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, जीवन बीमा निगम इत्यादिं से बाजार दर पर मूल्यांकन कराने पश्चात प्रस्ताव मण्डल के समक्ष पुनः प्रस्तुत करने तथा आगामी कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया गया।

(आदेशानुसार)

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नवा रायपुर
अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमशः-02

पृ.क्र./882 /स.प्र.शा./मु.सं.अ./मुख्या/फा.नं.- /19 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 05/10/2019

प्रतिलिपिः-

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदया, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
4. अपर आयुक्त,(जे/व्ही/पी) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
7. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/वृत्त-नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/ अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ।
8. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
9. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग- 1, 2, 3, 4, रायपुर, राज. परि. संभाग-01/02 नवा रायपुर अटल नगर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, जगदलपुर, कोण्डागांव, बिलासपुर, रायगढ़, अम्बिकापुर, कोरिया, कोरबा की ओर सूचनार्थ।
10. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01, 02, 03, 04, 05 रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, जगदलपुर, कोण्डागांव, बिलासपुर, रायगढ़, अम्बिकापुर, कोरिया, कोरबा की ओर सूचनार्थ।
11. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
12. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

(आदेशानुसार)

मुख्य-संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नवा रायपुर
अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.)